अनुदान संख्या 47 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
GRANT No. 47 - DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	3300,87,00	3390,78,00	3382,98,16	-7,79,84
पूरक	Supplementary	89,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,43,34
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	86,00	1,29,00	95,20	-33,80
पूरक	Supplementary	43,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				33,77

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat – Social Services				
मू.	O.	5155.00	4177.58	4177.51	-0.07
पु.	R.	-977.42			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2210"	Major Head "2210"				
चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	Medical and Public Health				
मू.	O.	311032.00			
पू.	S.	8991.00	334146.97	334120.65	-26.32
पु.	R.	14123.97			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	13900.00			
			10.11	..	-10.11
पु.	R.	-13889.89			

(I) ₹13900.00 लाख का प्रावधान आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹13100.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹13900.00 lakhs remained wholly unutilised under eight heads; of these ₹13100.00 lakhs accounted under Major Head "2552" - "Medical Education, Training and Researching - Allopathy" - under the following heads:-

(का) "भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली"– ₹10000.00 लाख;

(A) "Indian Council of Medical Research, New Delhi" - ₹10000.00 lakhs;

(खा) "चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान" – ₹900.00 लाख;

(B) "Research in Medicine and Health" - ₹900.00 lakhs;

(गा) "प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" – ₹600.00 लाख;

(C) "Management of Natural Calamities" - ₹600.00 lakhs;

(घा) "स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास" – ₹600.00 लाख; और

(D) "Promotion, co-ordination and development of Health Research" - ₹600.00 lakhs; and

(ड.) "पीएम–अभीम जैव सुरक्षा तैयारी और महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्रक, राष्ट्रीय संस्थानों और एक स्वास्थ्य के लिए प्लेटफार्मों को सुदृढ़ करना" – ₹1000.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में करने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग" के अंतर्गत ₹977.49 लाख की बचत (₹5155.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

(का) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – पीएम–अभीम जैव सुरक्षा तैयारी और महामारी अनुसंधान और बहु क्षेत्रक, राष्ट्रीय संस्थानों और एक स्वास्थ्य के लिए प्लेटफार्मों को सुदृढ़ करना" – ₹2106.48 लाख की बचत (₹20221.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचत रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

(खा) "लोक स्वास्थ्य – प्रशिक्षण – चिकित्सा और स्वास्थ्य में अनुसंधान" – ₹732.45 लाख की बचत (₹7200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मानव संसाधन विकास योजनाओं के विभिन्न घटकों के तहत प्राप्त आवेदनों की कम संख्या होने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹14753.08 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि दिसंबर, 2024 में मुख्य शीर्ष "2210" – "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान – एलोपैथी – भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को अनुदान" के

(E) "PM-ABHIM Biosecurity preparedness and strengthening Pandemic Research and Multi Sector, National Institutions and Platforms for One Health" - ₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" - "Secretariat-Department of Health Research"- saving of ₹977.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5155.00 lakhs); and

(III) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Medical Education, Training and Research - Allopathy - PM-ABHIM Biosecurity preparedness and strengthening Pandemic Research and Multi Sector, National Institutions and Platforms for One Health" - saving of ₹2106.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20221.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(B) "Public Health - Training - Research in Medicine and Health" - saving of ₹732.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7200.00 lakhs) was due to less number of applications received against various components of Human Resource Development schemes.

2.(I) The above savings were partly (₹14753.08 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹8991.00 lakhs in December, 2024 under Major Head "2210" -

अंतर्गत ₹8991.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹14752.94 लाख था।

"Medical Education, Training and Research - Allopathy - Grants to Indian Council of Medical Research, New Delhi". Actual excess, however, was ₹14752.94 lakhs.

(II) बचत मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2210" - under the following heads:-

(का) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी" –

(A) "Medical Education, Training and Research- Allopathy" -

(क) "स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन" – ₹750.31 लाख का अधिक व्यय (₹994.00 लाख के स्वीकृत प्रावधानों की तुलना में) दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों की सरकारों से अनुसंधान को मंजूरी न मिलने और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) से विदेश मंत्रालय को निधियां अंतरित किए जाने की रूपरेखा को अनुमोदन प्रदान करने में देरी होने के कारण हुआ।

(a) "Health Technology Assessment" - excess of ₹750.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹994.00 lakhs) was due to non-approval of research from Government of South East Asia Region countries and delay in approval of modalities of funds transfer from Indian Council of Medical Research (ICMR) to Ministry of External Affairs.

(ख) "स्वास्थ्य अनुसंधान का संवर्धन, समन्वय और विकास" – ₹799.17 लाख का अधिक व्यय (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(b) "Promotion, co-ordination and development of Health Research" - excess of ₹799.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs); and

(खा) "लोक स्वास्थ्य – रोगों की रोकथाम और नियंत्रण– प्राकृतिक आपदाओं का प्रबंधन" – ₹699.00 लाख का अधिक व्यय (₹5400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(B) "Public Health - Prevention & Control of diseases - Management of Natural calamities" - excess of ₹699.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5400.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में करने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.